कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन हेतु 'उच्च शक्ति प्राप्त समिति' (हाई पावर कमेटी) की

द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांकः 07 नवम्बर, 2016

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 'उच्च शक्ति प्राप्त समिति'(हाई पावर कमेटी) की द्वितीय बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2016 को उनके सभाकक्ष में अपराहन 3.00 पर सम्पन्न हुई।

1. बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् रही।

क0	नाम	पदनाम	विभाग
1.	श्री प्रदीप भटनागर	कृषि उत्पादन आयुक्त	उ0प्र0 शासन।
2.	श्री चंचल कुमार तिवारी	प्रमुख सचिव	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3.	श्री दीपक त्रिवेदी	प्रमुख सचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.	श्री अरूण कुमार मिश्रा	विशेष सचिव	आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री सुशील कुमार मौर्या	विशेष सचिव	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6.	डा0 हरीश चन्द्र	ओ0एस0डी0, विशेष सचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7.	सुश्री कुमुद लता श्रीवास्तव	विशेष सचिव	वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8.	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह	संयुक्त सचिव	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
9.	श्री बराती लाल	उपसचिव	वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
10.	श्री अनिल कुमार दमेले	निदेशक	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
11	डॉ. ज्ञान प्रकाश	निदेशक	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0।
12.	श्री अजीत श्रीवास्तव	—	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
13.	श्री एस0एन0 सिंह	उपनिदेशक	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

2. सम्यक विचारोपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

एजेण्डा बिन्दु	समिति द्वारा लिए गए निर्णय

एजेण्डा बिन्दु–1: हाई पावर कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 17/8/16 में लिए गए निर्णयों के परिपालन की स्थिति।

क्र.	कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय	अनुपालन एवं प्रगति की स्थिति	
1.	जनपद एवं खण्ड स्तर के प्रषिक्षण आयोजित न करने वाले जनपदों के जिलाधिकारीयों को षासन स्तर से, 15 दिवस के अंदर प्रषिक्षण पूर्ण कराने हेतु निर्देषित किया जाना।	1. प्रमुख सचिव महोदय के हस्ताक्षर से 21 जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। 2. वर्तमान में 18 जनपदों में प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है, शेष 3 जनपदों यथा ललितपुर, बहराइच एवं मेरठ में पुनः प्रशिक्षण आयोजन सम्बन्धी अनुस्मारक पत्र भेजा जा रहा है।	1. हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई। 2. अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जी. पी.डी.पी.) की जनपद स्तरीय प्रशिक्षण न करवाने वाले जनपदों– ललितपुर, बहराइच एवं मेरठ से स्वयं वार्तालाप

			कर अतिशीघ्र प्रशिक्षण आयोजन के निर्देश प्रदान किए।
2.	विभिन्न विभागों को भी अपने स्तर से ग्राम पंचायत विकास योजना/ नियोजन प्रक्रिया को मज़बूत करने, सहयोग करने एवं ग्राम सभा की बैठक में पंचायत स्तरीय कर्मियों को उपस्थित रहने के निर्देष जारी करना।	इस सम्बंध में आदेष परिपालन हेतु बैठक कार्यवृत समस्त विभागीय अध्यक्षों को प्रेषित किया जा चुका है। पुनः शासन स्तर से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर योजना को सफल बनाने हेतु सहयोग का निवेदन करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।	1. हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई। 2. कमेटी द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों की जी.पी.डी.पी. पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई।
3.	स्टेट रिर्सोस ग्रुप के विस्तार करने एवं उसमें विभिन्न क्षेत्रों से विषय विषेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 75 से 100 सदस्यों को सम्मिलित किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।	स्टेट रिर्सोस ग्रुप में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से नाम आमंत्रित कर विस्तार का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है।	हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई एवं विस्तार के सम्बन्ध में सुसंगत औचित्य प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
4.	स्टेट रिर्सोस ग्रुप के अति गुणवत्तापरक प्रषिक्षण पर भी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	स्टेट रिर्सोस ग्रुप के विस्तार के पश्चात् प्रषिक्षण आयोजित किए जाने सम्बंधी प्रक्रिया प्रगति पर है।	हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।
5.	राज्य स्तर पर पृथक से बी0डी0ओ0 का जी0पी0डी0पी0 पर एक दिवसीय प्रषिक्षण कराने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।	दिनांक 09 सितम्बर, 2016 को जी0पी0डी0पी0 एवं प्लान–प्लस पर प्रदेष के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के साथ जनपद के समस्त ए.डी.ओ. एवं खण्ड स्तरीय कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रषिक्षण भी आयोजित किया जा चुका हैं एवं अबतक 57008 ग्राम पंचायतों की योजनाएं प्लान–प्लस पर अपलोड की जा चुकी है एवं षेष में कार्य प्रगति पर है।	हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।
6.	प्रशिक्षण एवं नियोजन में अन्य आवश्यक सहयोग हेतु विभिन्न संस्थाओं यथा– यूनिसेफ, यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं आदि स्वयं से प्रेरित प्रतिनिधियों का एक समूह तैयार किये जाने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई जोकि ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया के साथ मॉडल ग्राम पंचायत तैयार किये जाने में सहयोग दे सके।	इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।	हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।

7.	75 जनपदों में 150 ग्राम पंचायतों को मॉडल के रूप में विकसित किए जाने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई एवं उसके लिए विशेष रणनीति बनाते हुए अन्य विभागों/योजनाओं से सहयोग लेने की संस्तुति की गई।	150 ग्राम पंचायतों के चयन करने सम्बन्धी पत्र जनपदों को प्रेषित एवं मॉडल ग्राम पंचायतों के चयन मानक का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है।	हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।
8.	मॉडल ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात् वर्ष 2016–17 की प्रस्तावित गतिविधि 'रीजनल वर्कशॉप का आयोजन' पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई, यह कार्यशालाएं मॉडल ग्राम पंचायतों को उनके अनुभवों के आदान–प्रदान, एक्शन प्लान तैयार करने में सहायक होंगी।	मॉडल ग्राम पंचायत चयन के पश्चात् कार्यशाला आयोजित किए जाने हेतु स्टेट रिव्यू कमेटी की बैठक की गई है, एवं कमेटी द्वारा भारत सरकार को सप्लीमेंटरी प्लान भेजे जाने पर सहमति प्रदान की गई है।	हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।
9.	जी0पी0डी0पी0 पर जागरूकता को विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छता कैम्पेन से जोडते हुए प्रचार हेतु निर्देशित किया जाना।	शासन द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से निर्गत शासनादेश के क्रम में जनपदों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 'सशक्त गॉव विकसित प्रदेश' अभियान के साथ–साथ 'स्वच्छ गॉव स्वस्थ्य प्रदेश' अभियान भी जनपदों में संचालित किया गया है एवं जी.पी.डी.पी. पर चर्चा करते हुए कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया हैं।	हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।
10.	नियोजन प्रक्रिया पर मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई जिस पर आने वाला व्यय का वहन वर्श 2016–17 की प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुमोदन के उपरान्त आई0ई0सी0 मद से कराये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।	जी0पी0डी0पी0 पर मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन नवम्बर माह में किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।	हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।
एजेण्डा बिन्दु–2–ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये जाने में आ रही कठिनाइयों/समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा। • विकास कार्यों के प्राक्कलन एवं मापन तैयार किए जाने में आ सही कठिनाईयों के निदान हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव है कि– 1. जिला पंचायत, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई, गन्ना विकास विभाग तथा मण्डी परिषद के अवर अभियन्ताओं को ग्राम पंचायतों के कार्यो का तकनीकी प्राक्कलन बनाने एवं मापन हेतु अधिकृत करने के सम्बन्ध में दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को आयोजित बैठक के क्रम मे शासन स्तर से आदेश निर्गत किया जा चुका है। 2. पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित आउटसोंसिंग के आधार पर 02 अवर अभियन्ता, 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर–कम–एकाउन्टेन्ट को तैनात करने के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित।		1. हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई। 2. बिन्दु सं0–1 में जिला पंचायत, ग्रा0अभि0से0, लघु सिचांई एवं मंडी परिषद के अवर अभि0 से प्राक्कलन बनाने सम्बंधी आदेश शासन स्तर से निर्गत किए जा चुके है। 3. बिन्दु सं0 2 में 14वें आयोग के अन्तर्गत मानव संसाधन की उपलब्धता का निर्णय कैबीनेट स्तर पर प्रकियाधीन है।

एजेण्डा बिन्दु–3–ग्राम पंचायतों के कार्य एवं कार्ययोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा में बढ़ोत्तरी करने पर चर्चा।

- ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्धारित सीमा को बढाकर रू0 02 लाख किए जाने के सम्बंध में दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को कृषि उत्पादन आयुंक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिये गये थे कि उक्त सीमा में बढोत्तरी करने के पूर्व अन्य राज्यों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा को दृष्टिगत रखा जाए। उक्त के क्रम में 5 राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा निम्न प्रकार से है–

1.	छत्तीसगढ़	रू0 20 लाख	2013
2.	मध्यप्रदेश	रू0 15 लाख	2283
3.	झारखण्ड	रू0 05 लाख	5659
4.	राजस्थान	रू0 05 लाख	5622
5.	उत्तराखण्ड	रू0 50 हजार	930
6.	उत्तर प्रदेश	रू0 50 हजार	2626

1. हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।
2. जी0पी0डी0पी0 अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा को बढ़ाये जाने पर निर्णय कैबीनेट स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

एजेण्डा बिन्दु–4–ग्राम पंचायत विकास योजना में वर्णित कार्य एवं कार्ययोजना की स्वीकृतियों में ग्राम पंचायतों को आ रही समस्याओं एवं उसके निराकरण पर चर्चा ।

14वें वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा कार्ययोजनाओं एवं कार्य पर विभिन्न स्तर से स्वीकृतियॉ प्राप्त किये जाने में आ रही कठिनाईयों एवं भ्रम की स्थिति को निम्न प्रकार से दूर किया जाना प्रस्तावित है–

1. प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित ग्राम पंचायत विकास योजना (कार्ययोजना) की सभी वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजना पर ग्राम सभा द्वारा ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
2. कार्ययोजना में ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गये कार्यों की प्रशासनिक/तकनीकि/वित्तीय स्वीकृति तथा उनके प्राक्कलन एवं मापन से सम्बन्धित व्यवस्था **संलग्नक–1** के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

संलग्नक–1

कार्ययोजना के अन्तर्गत कार्यों की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा एम. बी. की व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यकारी निर्देश

क्र. सं.	स्वीकृति स्तर	2 लाख तक	2 लाख से 5 लाख तक	5 लाख से 10 लाख तक	10 लाख से ऊपर के कार्य
1.	प्रशासनिक स्वीकृति	ग्राम पंचायत			जिला पंचायत राज अधिकारी
2.	प्राक्कलन तैयार करना	ग्राम पंचायत	अवर अभियन्ता– खण्ड स्तर पर तैनात कोई भी		
3.	तकनीकी स्वीकृति	ग्राम पंचायत	अभियन्ता जिला पंचायत/जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियन्ता		
4.	वित्तीय स्वीकृति	ग्राम पंचायत	सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिलाधिकारी
5.	कार्य आदेश	ग्राम पंचायत	सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)	जिला पंचायत राज अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
6.	एम.बी. तैयार करना	अवर अभियन्ता– खण्ड स्तर पर तैनात कोई भी			

1. हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।
2. बिन्दु सं0–1 में ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित ग्राम पंचायत विकास योजना (कार्ययोजना) की सभी वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजना पर ग्राम सभा द्वारा ही प्रशासनिक स्वीकृति पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।
3. बिन्दु सं0–2 में संलग्नक–1 पर अग्रिम आदेशों तक निर्णय स्थगन की स्थिति में रखने के निर्देश समिति द्वारा दिए गये।

7.	एम.बी. की स्वीकृति	ग्राम पंचायत	अभियन्ता जिला पंचायत/जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियन्ता।	

नोट– इस प्रकार ग्राम पंचायतों को निष्पादित कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति ग्राम सभा की आगामी बैठक में किया जाना अनिवार्य होगा।

एजेण्डा बिन्दु–5–14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 09.08.2016 के शासनादेश में आवश्यक परिवर्तन पर चर्चा।

विभाग द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया।

- सभी ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना सहायक विकास अधिकारी(पं0) स्तर पर संकलित कर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लाक स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के समक्ष रखी जाएंगी तथा समिति द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित की जायेंगी और जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, की व्यवस्था पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
- इसके अन्तर्गत कार्ययोजना में वर्णित रू0 10 लाख से उपर के कार्य प्रत्येक बुधवार को सप्ताह के अन्तर्गत प्राप्त सभी कार्यों को संकलित कर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से संस्तुति सहित जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित की जायेंगी और जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी का **संलग्नक–1** के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–6–ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रणाली के दृष्टिगत 14वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की ऑनलाइन प्रणाली में एकरूपता पर चर्चा।

1. हाई पॉवर कमेटी संज्ञानित हुई।
2. समिति द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के दृष्टिगत 14वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की ऑनलाइन प्रणाली में एकरूपता पर सहमति प्रदान की गई।

- ग्राम पंचायतों को स्वयं द्वारा बनायी गयी कार्ययोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देने के अधिकार दिया जाना, कार्ययोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को स्वीकृति प्रदान किये जाने पर एजेण्डा बिन्दु–4 पर चर्चा की जा चुकी है। इस परिपेक्ष्य में सभी केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं की स्वीकृतियों तथा ऑनलाइन प्रणाली में एकरूपता होने के क्रम में प्रस्तावित ऑनलाइन प्रणाली निम्न निम्नावित है–
  - सर्वप्रथम ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा।
  - इस प्रकार अपलोड की गई योजना के सापेक्ष एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. विकसित की जायेगी।
  - एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कार्यों की भौतिक प्रगति भी अंकित की जायेगी।
  - प्रत्येक वर्क आई.डी. के सापेक्ष प्रिया–सॉफ्ट में खर्च का ब्यौरा दिया जायेगा।
  - कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त नेशनल एसेट डायरेक्टरी में सृजित परिसम्पत्ति/सेवा का ब्यौरा दर्ज किया जायेगा।
  - अन्त में एम–एसेट मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग कर सम्पत्तियों का जी.पी. एस. कोआर्डिनेट्स फोटो सहित की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु–7: अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रदीप भटनागर)
कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन/
अध्यक्ष, उच्च शक्ति प्राप्त समिति,
ग्राम पंचायत विकास योजना।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–3
संख्या–2872/33–3–2016–10 जी.आई./2015
लखनऊः दिनांकः21 नवम्बर, 2016

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0
5. समस्त सदस्यगण पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन/
उपाध्यक्ष, उच्च शक्ति प्राप्त समिति,
ग्राम पंचायत विकास योजना।